दहशत

कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, लगातार तेंदुए के मूवमेंट से कर्मचारियों में दहशत

दिनदहाड़े ओएफके गेट के पास आ पहुंचा तेंदुआ

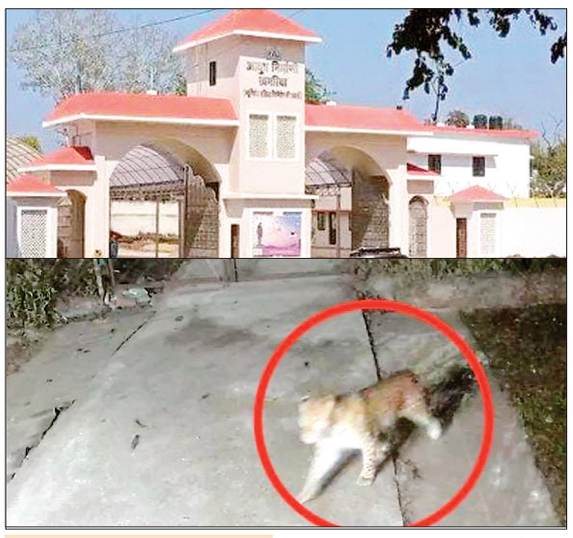

▶ वन विभाग पर लगे आरोप, कहा हल्के में ले रहा वन विभाग

नवभारत, जबलपुर। आयुध निर्माणी खमरिया के एफ 5 अनुभाग के माउंट पर और दोपहर 1.30 बजे आयुध निर्माणी के गेट नंबर 4 के पास तेंदुआ घूमते हुए कर्मचारियों ने देखा तो वे सभी काफी भयभीत हो गए। एक ही दिन में दो अलग अलग जगह तेंदुए की चहलकदमी ने जहां फैक्ट्री के कर्मचारियों को दहशत में डाल दिया वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की सुस्ती को भी उजागर किया।

निर्माणी के अर्नबदास सहित अन्य कर्मचारियों ने नवभारत को बताया कि आयुध निर्माणी खमरिया में तेंदुए की तादात लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो तेंदुआ को रात में देखा जाता था लेकिन अब दिनदहाड़े तेंदुए निर्माणी के अनुभागों, आवासी क्षेत्रों में घूमते आसानी से देखे जा रहे हैं।

कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार वन विभाग को तेंदुए की बढ़ती संख्या और चहलकदमी की जानकारी दी जा रही है लेकिन वन विभाग इसे बहुत हल्के में ले रहा है और दिखावे के लिए सिर्फ एक पिंजरा निर्माणी के अंदर लगाकर रख दिया है।

वन विभाग कर रहा दुर्घटना का इंतजार

भयभीत कर्मचारी अब तो ये भी कह रहे हैं की वन विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे लंच के समय आयुध निर्माणी खमरिया के गेट नंबर 4 के पास तेंदुआ अचानक आ पहुंचा जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और वह मौजूद सभी कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके पहले सुबह भी एक तेंदुआ एफ 5 अनुभाग के माउंट पर बैठा हुआ कर्मचारियों ने देखा और और तत्काल निर्माणी प्रशासन को जानकारी दी। जिसके बाद अधिकारियों ने वन विभाग से संपर्क किया और तेंदुए के रेस्क्यू की मांग की। विदित हो कि इसके पहले भी निर्माणी के आवासों के पास तेंदुआ घुमाएंगे देखा जा चुका है। जानकारों का कहना है कि शिकार की तलाश में तेंदुए जंगल से बाहर आता है ।ऐसे में निर्माणी के कर्मचारियों की चिंता कई गुना बढ़ गई है।

हाईकोर्ट ने केन्द्रीय विद्यालय गढ़ा के स्थानांतरण पर मांगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट

जबलपुर। उच्च न्यायालय, जबलपुर में बुधवार को सीनियर आदिवासी बालिका छात्रावास गढ़ा में संचालित हो रहे केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष संपन्न हुई। याचिकाकर्ता आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ की ओर से अधिवक्ता रवींद्रनाथ चतुर्वेदी एवं अक्षरदीप ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को अवगत कराया कि विगत कई वर्षों से सीनियर आदिवासी बालिका छात्रावास परिसर में केन्द्रीय विद्यालय गढ़ा का संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण छात्रावास में निवासरत आदिवासी बालिकाओं को आवास, सुरक्षा एवं शैक्षणिक वातावरण से संबंधित अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू होने से स्वच्छता में लगेंगे चार चॉंद : निगमायुक्त

▶ प्रतिदिन 400 टन कचरे का हो रहा है प्लांट में निष्पादन

नवभारत, जबलपुर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कुंदन ग्रीन एनर्जी द्वारा संचालित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट अब शहर के कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि प्लांट में न केवल कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो रहा है, बल्कि प्रतिदिन कचरे को जलाकर बिजली भी बनाई जा रही है।

बुधवार को प्लांट की कार्य प्रणाली और प्रगति के संबंध में निगमायुक्त ने समीक्षा की और कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि अप्रैल तक परिसर में जमा सभी कचरों का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने दिन-रात प्लांट चालू कर कचरे को जलाने और बिजली उत्पादन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में अपर आयुक्त अरविंद शाह,देवेन्द्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, उपायुक्त संभव अयाची, स्वास्थ्य अधिकारी अंकिता बर्मन, सहायक नोडल अधिकारी अभिनव मिश्रा के साथ कुंदन ग्रीन एनर्जी कम्पनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।इस अवसर पर कम्पनी के द्वारा किये जा रहे कार्यों की निगमायुक्त ने सराहना की और प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि और अधिक क्षमता के साथ कार्यों में प्रगति लाएँ, ताकि शहर को साफ-स्वच्छ रखने के अभियान को चार चॉंद लग सकें। समीक्षा बैठक के दौरान निगमायुक्त ने बताया कि वर्तमान में इस प्लांट में प्रतिदिन 400 टन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है, जिससे बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। कुंदन ग्रीन एनर्जी द्वारा संचालित इस प्लांट की कुल क्षमता 800 टन कचरा प्रतिदिन जलाने की है। उन्होंने बताया कि भविष्य में जैसे-जैसे कचरे का कलेक्शन बढ़ेगा, यह प्लांट शहर को शत-प्रतिशत 'कचरा मुक्त' बनाने में सक्षम होगा।

वेस्ट से बन रहे गमले और पेवर ब्लॉक

निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम केवल घरेलू कचरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले मलबे का भी रचनात्मक उपयोग कर रहा है। शहर की सड़कों और घरों से निकलने वाले पत्थर, ईंट और मलबे को री-सायकल करके अब सुंदर गमले और पेवर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इन उत्पादों का उपयोग शहर के स्थायी सौंदर्यीकरण कार्यों में किया जाएगा।

डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण अनियमित्ता पर जवाब तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने कटनी में डोर-टू.ऽोर कचरा संग्रहण में अनियमितता पर जवाब-तलब किया है। मामले में राज्य शासन, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, नगर तथा ग्राम निवेश के कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कटनी नगर निगम आयुक्त, रामकी कंपनी, मैनेजमेंट आफ सालिड वेस्ट के प्लांट मैनेजर और ईओडब्ल्यू एसपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये गये है।

दरअसल अपीलकर्ता नगर निगम कटनी के पार्षद मिथिलेश जैन की ओर से यह मामा दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कटनी में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए वर्ष 2015 में रामकी कंपनी को ठेका दिया गया था। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों और कंपनी के बीच गठजोड़ के जरिए फर्जी बिल लगाकर कंपनी को भारी राशि का भुगतान किया जा रहा है। नगर निगम कटनी और रामकी कंपनी के बीच सात मई 2015 को रीजनल इंटीग्रेटेड सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार हर घर से कचरा संग्रहण कर नागरिकों को बिल देना अनिवार्य था। कचरे को छोटे वाहनों से सीधे कम्पैक्टर में डालकर प्लांट तक ले जाना था। कचरे का सेग्रीगेशन यानि छंटाई करना जरूरी था। बिल जारी न होने के बाद भी नगर निगम ने कम्पनी को भुगतान किया और बाद में राशि प्रापर्टी टैक्स में जोडक़र जनता से वसूली की जा रही। तीन लाख मीट्रिक टन कचरा उस कृषि भूमि पर डंप किया गया, जो प्लांट के लिए आवंटित नहीं थी।

पूर्व मंत्री श्रवण पटेल को झटका

▶ वाणिज्यिक न्यायालय का फैसला, वाद निरस्त

जबलपुर। वाणिज्यिक न्यायालय से पूर्व मंत्री श्रवण पटेल को झटका लगा है। न्यायाधीश अजय रामावत ने पूर्व मंत्री श्रवण पटेल का वाद निरस्त कर दिया है। मामला मेसर्स मोहनलाल हरगोविंददास के विघटन से संबंधित था।

न्यायालय ने मामले में स्पष्ट किया है कि वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित हो कि उसनें फर्म को विघटन करनें की सूचना रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी को भी अधिनियम की धारा-63 में उपबंधित अनुसार दी है। चूंकि वादी नें भागीदारी फर्म विघटन किए जाने की सूचना से सम्बंधित सूचना-पत्र एवं उसकी सभी भागीदारों पर तामीली की साक्ष्य प्रस्तुत करके फर्म के विघटन की सूचना को प्रमाणित नहीं किया है। इसलिए वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए न्यायदृष्टांतों के आधार पर उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। मात्र वाद प्रस्तुत कर देने और उसके प्रमाण में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें के कारण वादी को विधि अनुसार इस न्यायालय के द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।

इस वाद में दो वैकल्पिक एवं परस्पर विरोधाभासी तर्क प्रस्तुत किए गए थे कि फर्म या तो वर्ष 2000 में भंग हो गई थी अथवा वर्ष 2005 में स्व. परमानंदभाई पटेल, जो फर्म में 51 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदार थे, जिनके निधन के पश्चात स्वत: भंग हो गई। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन के पश्चात, विचारण न्यायालय ने दोनों ही तर्कों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने यह पाया कि सात फरवरी 2000 का कथित पत्र, जिसे स्व. परमानंद भाई पटेल द्वारा जारी बताया गया था, जिस पर सिद्धार्थ पटेल व मोहनलाल हरगोविंददास बीड़ी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने भरोसा किया थाए सिद्ध नहीं किया जा सका। न्यायालय ने साझेदारी करार की धारा-16 पर विशेष रूप से भरोसा किया, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी साझेदार की मृत्यु से फर्म का विघटन नहीं होगा तथा यह भी पाया कि धारा 10 (क) एवं 10(ख) लागू नहीं होतीं, क्योंकि स्व. परमानंदभाई पटेल द्वारा अपनी मृत्यु पर फर्म के विघटन संबंधी कोई निर्देश नहीं छोड़ा गया था।

ड्राइवर को बुलाकर किया हमला

जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में बदमाश ने ड्राइवर को कॉल कर बुलाया और इसके बाद डंडे से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया और फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार को सोनू ठाकुर 25 वर्ष निवासी राजा बड़खेरा भेड़ाघाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि भूरा उर्फमहेन्द्र चौधरी ने फोन करके आंगनबाड़ी के पास उसे बुलाया, वह आंगनबाड़ी के पास पहुँचा वहां पर पहले से जितू चौधरी एवं नानू चौधरी खड़े थे। भूरा उर्फमहेन्द्र ने पीछे से डंडे से हमला कर उसे चोट पहुंचा दी और तीनों भाग गए।

विज्ञान प्रतियोगिता में खिरियाकला की छात्रा को मिला प्रथम स्थान

नवभारत, बेलखाडू । विकासखंड पनागर में गत दिवस विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। जिसमें शासकीय माध्यमिक शाला खिरिया कला की कक्षा 8 वीं की छात्रा नंदिनी पटेल ने प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया साथ ही नंदनी को जिला स्तर के लिए चयनित किया गया। खिरिया स्कूल संस्था प्रभारी आभा शुक्ला, राजश्री चौहान, सपना राजपूत, राकेश पाण्डेय, नितिमा गर्ग,सुशील श्रीवास्तव,अरुण गर्ग के मार्गदर्शन से सफलता प्राप्त की।

गिरने की कगार पर पहुंच गया विद्युत ट्रांसफार्मर

नवभारत,बेलखाडू। आशीर्वाद ढाबा बेलखाडू (झगरा) के सामने स्थित नहर किनारे के खेत में 25 एचपी का एक विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। किसान भीकम साहू, धर्मेंद्र साहू, राकेश पटेल ने विद्युत मंडल को एक पत्र में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि बोरिया विद्युत मंडल कार्यालय अंतर्गत पिछले लंबे समय से यह विद्युत ट्रांसफार्मर निरंतर झुकाव लेते जा रहा है। जिसकी वर्तमान स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर कभी भी अचानक गिर सकता है। भविष्य में यह ट्रांसफार्मर अचानक गिरता है तो फसल में आग लगने एवं अन्य प्रकार की घटना की संभावना बनी हुई है। बोरिया विद्युत मंडल जूनियर इंजीनियर को किसानों ने शीघ्र सुधार हेतु आवेदन दिया गया है ।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील अधारताल, जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र./3740/अ-6/2025-2026
अधारताल, दिनांक:- 09/01/2026

-:: आम इश्तहार ::-

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता ग्राम- खैरी तहसील अधारताल जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि, आवेदिका श्रीमती मनीषा अग्रवाल पति धर्मेन्द्र अग्रवाल निवासी म.नं. 523 कोतवाली सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड जबलपुर के द्वारा मौजा खैरी पटवारी हल्का खैरी तहसील अधारताल स्थित भूमि खसरा नं. 147/2 का भाग भूमि/गोदाम रकवा 8600 वर्गफुट भूमि ई-पंजीकृत वसीयतनामा क्रमांक एम.पी.-182542024ए3892467 दिनांक 11/07/2024 के माध्यम से प्राप्त करने के आधार पर नामांतरण हेतु वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, खसरा नकल सहित आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण विचाराधीन है।

तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति हो तो लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।
जारी दिनांक - 09/01/2026
पेशी दिनांक - 29/01/2026

अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल जबलपुर

चायनीज मांझा बेचते बालक सहित 3 गिरफ्तार

जबलपुर। चायनीज मांझा बेचने वाले एक 17 वर्षिय बालक सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हनुमानताल टीआई सुभाषचंद्र बघेल ने बताया किमोह. मंसूर पतंग वाले के यहॉ 16 क्वाटर टक्करग्राम में दबिश दी जहॉ पतंग दुकान संचालक मोह. मंसूर 26 वर्ष निवासी ठक्करग्राम 16 क्वाटर का अपनी दुकान में 100 लच्छी एवं 1 चरखी में चायनीज मांजा बेचने रखे मिला जिसे जप्त किया गया। इसी प्रकार अधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने बताया कि कंचनपुर मान्या मैरिज गार्डन के सामने किराना दुकान में पतंग उडाने में उपयोग किये जान वाला चायनीज मांजा बेचते पप्पू साहू उर्फ काली चरण 50 वर्ष निवासी कंचनपुर अधारताल को पकड़ा गया। इसी प्रकार रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि इंद्रा नगर स्थित विनय किराना स्टोर के पास दबिश दी जहॉ एक 17 वर्षिय बालक चायनीज मांजा बेचते मिला।

एनक्यूएएस असेसमेंट में सफल हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

नवभारत, बेलखाडू । भारत सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं देने की प्रतिबद्धता के तहत पनागर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलखाडू में कराए गए नेशनल क्वालिटी एसेसमेंट में टीम में आए डॉ. दीपक डोगरे नागपुर एवं डॉ .जसमोहन सिंह राजस्थान ने संस्था का असेसमेंट 8 व 9 दिसम्बर 2025 को किया था। टीम के असेसमेंट के दौरान क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ,डॉ. आदर्श विश्नोई, जिला क्वालिटी मैनेजर डॉ. शिखा गर्ग ,मुख्य खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय जैन, डॉ. पीयूष द्विवेदी डॉ. निशिमा सिद्दीकी की उपस्थिति में संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का स्पॉट निरीक्षण, रिकॉर्ड ,रिपोर्ट एवं प्रदत्त सुविधाओं की गुणवत्ता के साथ किया गया था । टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन को उच्च संस्थान में भेजा गया था ।

घोषित परिणामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलखाडू सफल रहा यह सफलता जिले एवं ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों कर्मचारी की लगन एवं मेहनत से संभव हुआ। इस अवसर पर एच,सी महोबिया ,श्रीमती प्रतिभा तिवारी ,अजय चौबे, राकेश वर्मा , वीरेंद्र पटेल ,श्रीमती रानू हरिनंखेड़े, श्रीमती नीलम विश्वकर्मा, श्रीमती पूजा सेन ,श्रीमती वर्षा कुर्मी, श्रीमती प्रेमलता पटेल श्रीमती शिखा शुक्ला, श्रीमती राधा ठाकुर, श्रीमती रेखा पटेल ,मुकेश रजक उपस्थित रहे ।

चाकूबाजी का फरार आरोपी पिस्टल के साथ गिरफ्तार

जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत भानतलैया प्रेम सागर रोड के पास ऑटो चालक को रोककर उस पर चाकू से हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाक जारी है। हनुमानताल थाना प्रभारी सुभाषचंद्र बघेल ने बताया कि राजेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ शिव ठाकुर 36 वर्ष निवासी प्रेम सागर करिया पाथर रोड हनुमानताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आटो चलाते है। सुबह 11 बजे आटो से रद्दी चौकी अपने घर जा रहा था, भानतलैया प्रेम सागर रोड के पास पहुंचा जहॉ अनिकेत केवट एवं प्रकाश उर्फ उर्फ चपटा, सूजल केवट, नमन केवट आकर उसकी आटो रोक लिये एवं चारो बोले आटो चलाना है तो रोज 500 रूपये देना पडेगा, उसने रूपये देने से मना किया तो अनिकेत ने डण्डे से उसके आटो के कांच तोड दिये, वह आटो से उतरकर भागने लगा तो नमन एवं सुजल ने उसे पत्थर मारा, अनिकेत एवं प्रकाश ने चाकू से हमला कर पैर एवं कमर, में चोटे पहुंचा दी चारों बोले रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे एवं भाग गये। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया। वहीं प्रकाश उर्फ चपटा अग्रवाल को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर कमर में दाहिने तरफ 12 बोर का कट्टा खोंसे तथा पहनी हुयी जर्किन के वायें जेब में एक कारतूस रखे मिला। उल्लेखनीय है कि पकडा गया आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का है जिसके खिलाफ हत्या, अवैध वसूली मारपीट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के 31 अपराध दर्ज है।

होली- दिवाली की भाईदूज व दुर्गा नवमी पर रहेगा अवकाश

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने कैलेंडर वर्ष 2026 में जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। यह स्थानीय अवकाश संपूर्ण दिवस के लिए होंगे। इनमें होली की भाईदूज पर गुरुवार 05 मार्च, दुर्गा नवमी पर सोमवार 19 अक्टूबर और दीपावली की भाईदूज पर बुधवार 11 नवम्बर शामिल हैं। ये स्थानीय अवकाश कोषालय, उप-कोषालय तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह का आगमन आज

नवभारत,जबलपुर। प्रदेश के जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह का गुरुवार 15 जनवरी की सुबह 8.25 बजे इंदौर से वायुयान द्वारा डुमना एयरपोर्ट जबलपुर आगमन होगा। जनजातीय कार्य मंत्री डुमना एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पहुँचेंगे तथा सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह गुरुवार को ही शाम 4 बजे बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व तालागेट के लिये प्रस्थान करेंगे।

जबलपुर दमोह रोड पर करतब दिखा रहे ओवरलोड वाहन

नवभारत, बेलखाडू । जबलपुर-दमोह मुख्य मार्ग पर थाना माढ़ोताल, कटंगी एवं बेलखाडू पुलिस चौकी सीमा क्षेत्र अंतर्गत यातायात नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं, जिससे जिम्मेदारो की भूमिका सवालों के घेरे में है। ओवरलोड मालवाहक वाहन, क्षमता से अधिक भरी भूसा ट्रॉलियां, बिना सुरक्षा मानकों के लदी सरिया और खुले वाहनों में सवारियों का परिवहन रोजाना देखा जा रहा है, फिर भी प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। मार्ग पर ऐसे मालवाहक वाहन देखे गए, जिनमें प्लास्टिक ड्रमों को निर्धारित सीमा से कहीं अधिक ऊंचाई तक लोड किया गया है। असंतुलित भार के कारण ये वाहन कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। सवाल यह कि ऐसे वाहन पुलिस चेकिंग से बचकर निकल रहे हैं या जानबूझकर अनदेखी करते हुए करतब दिखा रहे है । खुले लोडिंग वाहनों में लोगों को खड़े होकर सफर कराते हुए भी देखा गया। यह सीधे तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। यदि ऐसे वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी चालक , वाहन मालिक या चेकिंग न करने वाले विभाग में से किसकी होगी।

इसी मार्ग पर लोहे की सरिया को बिना किसी चेतावनी बोर्ड , सांकेतिक लाल कपड़ा से ढका हुआ सहित अन्य बिना सुरक्षा व्यवस्था के खुले ट्रकों में ढोया जा रहा है। लोहे की सरिया वाहन के पीछे बाहर तक निकली हुई है, जिससे पीछे चल रहे दोपहिया वाहन चालकों की जान हर पल खतरे में रहती है। इसके बावजूद इन वाहनों पर कार्रवाई शून्य स्थिति दर्शा रही है ? सबसे गंभीर स्थिति ओवरलोड भूसा ट्रॉलियों को लेकर है। क्षमता से कई गुना अधिक भरी भूसा ट्रॉलियां सहित मुरम, रेत, गिट्टी, लोहे की सामग्रियां भरकर सड़क पर दौड़ रहे हैं, जिससे सड़क पर दृश्यता कम हो रही है। सुबह कोहरे में आवागमन मे कठिनाइया आती है ,तेज हवा में उड़ता भूसा पीछे चल रहे वाहनों की आंखों में पड़ सकता है, जिससे वाहन क्रॉसिंग के दौरान बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है।

न्यायालय तहसीलदार कटनी (नगर), जिला कटनी

राजस्व प्रकरण क्रमांक 3783 / अ-6/2024-2025

आम इश्तहार

एतद् द्वारा आवेदक अनिल गोविंदानी पिता शोभराज गोविंदानी निवासी गुरूनानक वार्ड कटनी के द्वारा ग्राम मुड़वारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1367/17 रकवा 1500 वर्गफुट में से रकवा 375 वर्गफुट एवं रकवा 3000 वर्गफुट में से रकवा 725 वर्गफुट पर निर्मित भवनों का पंजीयन तबादलानामा क्रमांक MP208052016A1563349 दिनाँक 05/10/2016 के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त भूमि संबंध में भूमिस्वामी, हितबद्ध पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति/जनप्रतिनिधि या संस्था एवं बैंक आदि को आपत्ति हो तो स्वयं या अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। नियत दिनॉक के पश्चात प्राप्त आपत्ति/आक्षेप पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनॉक 13/01/2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित जारी किया गया।
सुनवाई का स्थान - : न्यायालय तहसीलदार कटनी (नगर)।
जारी दिनॉक : - 13/01/2026
नियत दिनॉक : - 27/01/2026

तहसीलदार कटनी (नगर) कटनी

पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग
(भंडार आपूर्ति हेतु ई-निविदा सूचना, संख्या/ईपीएस/116/2025)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तालिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएगे। पूर्ण/विनिर्देश के लिए वेबसाईट https://ireps.gov.in" पर 'ई' निविदा संबधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	टेंडर नं.	संक्षिप्त वर्णन	निविदा मात्रा	नियत तारीख
1	30255038	16.25T बोगी फ्रेम्स फॉर ICF कोचेस	190 नंबर	02/02/2026
2	30255032	सप्लाई इंस्टालेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रो pneumatic pressurized फ्लशिंग सिस्टम	460 सेट	05/02/2026
3	30251518	एक्सल बॉक्स पाइवोट बुश विथ सॉलिड और होल पिन	2836 नंबर	09/02/2026
4	20252530	EQUALISER स्प्रिंग सीट	304 सेट	17/02/2026

50 लाख रूपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मो को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है। (हस्ता.)

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर

निविदा-सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	PRO- 755 Date- 14/01/2026	संभाग क्रमांक -06 डॉ. राममनोहरवार्ड में चण्डाल भाटा नगर निगम जबलपुर सार्व. शौचालय से श्री दुर्गा मंदिर मेन रोड तक नाली कवरिंग कार्य। (निगम-मद)	तीन माह	2000/-	29/01/2026
	2025_UAD_470510_1		2.10/- (लाख)	2101/-	
2	PRO- 755 Date- 14/01/2026	संभाग क्रमांक-06 अंतर्गत चेरीताल कॉजी हाउस मनमोहन होटल स्थित स्टाफ क्वार्टर में जुडाई प्लास्टर फर्श एवं अन्य कार्य। (निगम-मद)	तीन माह	2000/-	
	2025_UAD_470510_2		6.34/- (लाख)	6343/-	
3	PRO- 755 Date- 14/01/2026	संभाग क्रमांक 06 अंतर्गत डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड में गोल्डन टाऊन के सामने कशोधन नगर में राजेश तिवारी जी के मकान के समीप नाली निर्माण कार्य। (पार्षद-मद)	तीन माह	2000/-	
	2025_UAD_470510_3		6.42/- (लाख)	6422/-	
4	PRO- 755 Date- 14/01/2026	संभाग क्रमांक-06 अंतर्गत पं. गोविंद वल्लभ पंत वार्ड में सामुदायिक भवन में रंगाई पुताई सीढ़ी में रैलिंग छत में रैलिंग व टॉवर बनाने का कार्य।(पार्षद-मद)	तीन माह	2000/-	
	2025_UAD_470510_4		6.59/- (लाख)	6597/-	

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाइट https://mptender.gov.in में पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) शहडोल म.प्र.

http://mptender.gov.in दूरभाष: 07652-240320 Email-twelfareshd@mp.nic.in

क्रमांक/ज.जा.का./निर्माण/2025-26/38 **ई-निविदा विज्ञप्ति प्रथम आमंत्रण** शहडोल, दिनांक 02/01/2026

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से ऑनलाइन निविदायें प्रतिशत दर पर लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में एत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग(भवन) म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी दिनांक 01 जनवरी 2024 से भवन /विद्युत कार्य, एवं 11 2025 लोक निर्माण विभाग (रोड एवं ब्रिज) से प्रभावशील लोक निर्माण विभाग के प्रचलित एस.ओ.आर. पर (निविदा दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित) निम्नांकित कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदायें निम्न विवरण अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते, निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियां http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। 1. आनलाईन निविदा प्रपत्र विकय की प्रारंभिक तिथि : 30/12/2025, 2. आन लाईन निविदा प्रपत्र विकय की अंतिम तिथि : 20/01/2026, 3. ऑन लाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 20/01/2026, 4. ऑन लाइन निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि : 22/01/2026

क्र.	NIT No.	Online NIT No.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेके की अनुमानित राशि लाखों में	अमानत राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	उचित पंजीयन की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7849 दि. 26/12/25	TWD/ Tender No. 2025